N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0121 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 21/05/2025 17:43 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	308

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): गुरूवार Date From (दिनांक से): 06/03/2025 Date To (दिनांक तक): 06/03/2025

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 18:30 बजे Time To (समय तक): 22:15 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 14/05/2025 Time (समय): 12:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 21/05/2025 17:43:02 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH-WEST, 54 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): POLICE THANA REVARDAR, JILA SIROHI

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):
   (a) Name(नाम): SHAITAN LAL GURJAR
   (b) Father's Name (पिता का नाम): PANAJI
   (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1996 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA
   (e) UID No(यूआईडी सं.):
   (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) Occupation (व्यवसाय):
   (i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	DAULJI KHERA, MANDALGARH, BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	DAULJI KHERA, MANDALGARH, BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA

   (j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):
   Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAMESH DAN		पिता:BALU SINGH	1. GRAM JHANKAR,SIROHI,RAJASTHAN,
2	HARISH KUMAR		पिता:MOTARAM	1. JANIYO KI DHANEE,,POST BOR CHARANAN,DHORIMANNA,BARMER,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):
9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 5,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात इस प्रकार से निवेदन है कि दिनांक 06.03.2025 परिवादी श्री शैतान लाल गुर्जर पुत्र श्री पानाजी, जाति गुर्जर, उम्र 29 वर्ष, निवासी दौलजी खेड़ा, तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा ने ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर उपस्थित होकर मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस के समक्ष एक टाईपशुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मैं श्री श्याम मोटर्स कंपनी का ट्रेलर चलाता हूँ। दिनांक 02.03.2025 को मैं गाड़ी नंबर RJ48GA2008 (अठारह चक्का) में गांधीधाम गुजरात से कोयला भरकर बहराईच, उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहा था। दिनांक 03.03.2025 को सुबह दस बजे रेवदर से सिरोही की तरफ हाईवे पर करोटी गांव के मोड़ में मेरी गाड़ी का गियर बॉक्स फट जाने से गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई। मैने उसी जगह पर मिस्त्री को बुलाया उन्होंने गाड़ी का गियरबॉक्स खोला और ठीक करने के लिए अपने साथ सर्विस सेन्टर पर ले गये। गाड़ी वहीं पर खड़ी रही। दिनांक 05.03.2025 की शाम को मिस्त्री द्वारा गाड़ी ठीक करने के बाद गाड़ी को मैं रवाना कर ले जाने लगा उस समय शाम को पुलिस थाना रेवदर के श्री रमेशदान एएसआई साहब पुलिस वाली गाड़ी में मेरे पास आए एवं मेरे से गाडी की मूल आर.सी. एवं मेरा ड्राईविंग लाईसेंस ले लिया एवं गाडी की आरसी एवं मेरा लाईसेंस वापस देने के लिऐ मेरे से खर्चा-पानी के दस-पन्द्रह हजार रूपयों की मांग की एवं कहा कि पैसे नहीं दिये तो तेरी गाडी का चालान कर दूंगा एवं तुझे जेल में डाल दूंगा। मैने एएसआई साहब को बताया कि मेरे पास पैसे नहीं है, तब रमेशदानजी पुलिस वाले मुझे जेल में डालने और गाड़ी का चालान बनाने की धमकी देकर गालियां देते हुए मेरी गाड़ी की आरसी और मेरा ड्राईविंग लाईसेंस मेरे से लेकर चले गये, जाते हुए रमेश जी ने मुझे बोला कि मेरे खर्चे पानी के पैसे ले आना और तेरा लाईसेंस और गाड़ी के कागजात ले जाना। फिर मैंने गाड़ी करोटी हाईवे किनारे एक ढाबे पर खड़ी की और मैं वहीं पर रूका रहा। आज सुबह रमेशदानजी पुलिसवाले ढाबे पर आए और मुझे पुलिस की गाड़ी में बैठाकर अपने साथ करोटी में ई मित्र की दुकान पर ले गये और बोले तेरे गाड़ी की आरसी और लाईसेंस लेने है तो पन्द्रह हजार रूपये निकाल कर दे दे। तब मैंने कहा मेरे खाते में पैसे नहीं है। तो रमेशदान जी पुलिस वाले ने मुझे गालियां देते हुए बोला कि अगर पैसे नहीं दिये तो गाड़ी का चालान बना दूंगा और तुझे जेल में डाल दूंगा। तब से अब तक रमेशदान जी पुलिस वाले मेरे फोन (नंबर [redacted] पर (उनके फोन नंबर-[redacted] से) बार-बार कॉल कर खर्चा पानी के रूप में रूपयों की अवैध रूप से मांग कर रहे है। मैं बिना किसी कारण के रमेश दानजी एएसआई साहब को रिश्वत के रूप में पैसे नहीं देना चाहता हूं, मैं रमेशदान जी को रिश्वत राशि लेते हुए को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरी रमेश दान जी एएसआई साहब से कोई रंजिश नहीं है तथा न ही हमारा कोई आपसी लेन-देन बकाया है। जिस पर मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस द्वारा राजकार्य से जयपुर गये हुए श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो सिरोही को जरिये व्हॉट्सएप्प कॉल हालात निवेदन किये। जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी की रिपोर्ट पर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री शैतान द्वारा प्रस्तुत टाईपशुदा रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करते हुए मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस द्वारा रिपॉर्ट का पुनः अवलोकन किया तो परिवादी श्री शैतान पुत्र श्री पानाजी, जाति गुर्जर, उम्र 29 वर्ष, निवासी दौलजी खेड़ा, तहसील माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा होना पाया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के संबन्ध में परिवादी से विस्तृत पूछताछ की गई तो परिवादी ने रिपॉर्ट अपने विश्वस्त कम्प्युटर टाईपिंग की दुकान से टाईप करवाकर लाना एवं रिपॉर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताते हुए रिपॉर्ट में उल्लेखित समस्त तथ्य सही होना जाहिर किया तथा परिवादी ने श्री रमेश दान एएसआई से स्वयं का किसी प्रकार का लेनदेन बकाया नहीं होना एवं उनसे परस्पर कोई रंजिश नहीं होना बताया। परिवादी ने यह भी बताया कि श्री रमेश दान जी एएसआई साहब मुझे बार-बार कॉल कर मेरा लाईसेंस व गाड़ी की आरसी लौटाने के लिए पैसे लेकर मुझे थाने बुला रहे है. हर बार अलग-अलग राशि की मांग कर रहे है। कभी दस हजार तो कभी पन्द्रह हजार रूपये लाने का बोल रहे है, तथा अभी तक रूपये नहीं देने पर मुझे गंदी गंदी गालियां देते है। परिवादी से उसके परिचय पत्र के बारे में पूछा तो उसने परिचय पत्र के रूप में उसकी गाड़ी के साथ ड्राविंग लाईसेंस है जो अभी रमेशजी पुलिस वाले के पास रेवदर पुलिस थाने में है। इसके अलावा मेरे पास अभी कोई परिचय पत्र नहीं है। परिवादी से प्राप्त विस्तृत जानकारी एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपॉर्ट के अवलोकन से मामला लोकसेवक द्वारा परिवादी के वैध कार्य गाड़ी का चालान नहीं बनाने व परिवादी के ड्राईविंग लाईसेंस व गाड़ी की

आरसी लौटाने के लिये रिश्वत राशि की मांग करना प्रथम दृष्ट्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आने से परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपॉर्ट पर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया जाकर ब्यूरो कार्यालय के श्री रमेश कुमार कानि. नं. 119 को मन् निरीक्षक पुलिस के कक्ष में तलब किया जाकर उपस्थित परिवादी श्री शैतान लाल गुर्जर व कानि. श्री रमेश कुमार का परस्पर परिचय करवाकर दोनों के मोबाईल नंबर आदान-प्रदान करवाये गये तथा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय फैश मैमोरी कार्ड कार्यालय कक्ष की अलमारी से निकालकर कानि. श्री रमेश कुमार को ऑपरेट करने के बारे में आवश्यक समझाईश कर सुपुर्द किया तथा परिवादी को भी शिकायत के बारे में पूर्णतया गोपनीयता बरतने की हिदायत दी गई। कानि. श्री रमेश कुमार को यह भी हिदायत दी गई कि शिकायत के गोपनीय सत्यापन के बाद जो भी स्थिति बने उससे जरिये दूरभाष वहीं से मन् निरीक्षक पुलिस को अवगत कराएं। परिवादी श्री शैतान लाल गुर्जर के साथ कानि श्री रमेश कुमार नं. 119 को उसके स्वयं की निजी मोटरसाईकिल से वास्ते रिश्वती राशि मांग सत्यापन रवाना रेवदर की तरफ किये तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा पत्रावली में संधारित कर सुरक्षित स्वयं के कब्जे में रखा। दिनांक 06.03.2025 को वक्त 10.30 पी.एम. पर श्री रमेश कुमार कानि. नं. 119 द्वारा मन् निरीक्षक पुलिस को जरिये दूरभाष अवगत कराया कि मेरे द्वारा पुलिस थाना रेवदर के बाहर कुछ दूरी पर पहुंच कर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्दकर पुलिस थाना रेवदर में श्री रमेश दान एएसआई से रिश्वती राशि की मांग की वार्ता के लिए रवाना कर बाद वार्तालाप पुनः उसी नियत स्थान पर आकर मुझ कानि से मिलने की परिवादी को हिदायत दी। कुछ समय पश्चात् परिवादी मेरे पास पूर्व नियत स्थान पर आया जिससे मैंने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त किया जाकर बंद कर मेरे पास सुरक्षित रखा। उस समय परिवादी ने मुझे बताया कि रमेश दान जी थाने में ही थे जिनसे जाकर मैं मिला तो उन्होंने मुझे खूब सारी गंदी गंदी गालियां दी और मेरे से पांच हजार रूपये देने को कहा और नहीं देने पर गाड़ी का बीस हजार का चालान बनाने एवं मुझे जेल में डालने की धमकी दी तो मैंने कहा पैसे मेरे पास नहीं है सेठजी मेरे खाते में भरवाएंगे तब उन्होंने बोला कि भगाओ इसको यहां से और गालियां दी। अब परिवादी के पास पैसे भी नहीं है यह सुबह गाड़ी मालिक अपने सेठजी से बात कर पैसों की व्यवस्था करवाएगा तथा अभी रात्रि का समय होने से परिवादी अपनी गाड़ी की निगरानी में यहीं पर रहना चाहता है जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को वहीं पर उसकी गाड़ी के पास रूकने एवं उसका मोबाईल फोन चालू रखने एवं घटनाक्रम की गोपनीयता बनाए रखने की हिदायत देकर कानि. श्री रमेश कुमार नंबर 119 को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सुरक्षित लेकर अविलंब ब्यूरो कार्यालय सिरोही पहुंचने के निर्देश दिये। दिनांक 07.03.2025 को वक्त 12. 35 ए.एम. पर श्री रमेश कुमार कानि. नं. 119 ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर उपस्थित आया तथा बंद हालात में डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द्ध किया जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर उसमें रिकॉर्डेड वार्ता को फॉरवर्ड रिवर्स कर तसल्ली पूर्वक सुना तो आरोपी श्री रमेशदान एएसआई द्वारा परिवादी को भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए पीडीपीपी एक्ट में मुकदमा दर्ज करने की धमकी देकर जेसीबी और एईएन के नाम पर पांच हजार रूपये की मांग करना पाया गया तथा जेल में डालने व बीस हजार रूपये का चालान बनाने की भी धमकी देने की भी पुष्टि हुई। उक्त रिकॉर्डेड वार्ता की आईदा परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में फर्द ट्रांसक्रिप्ट मुर्तिब की जायेगी। तत्पश्चात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्व में राजकार्य से जयपुर गये हुए ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर उपस्थित आये जिनको मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री शैतान लाल गुर्जर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पेश कर उपरोक्तानुसार हालात निवेदन किये। जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन में आए तथ्यों को और स्पष्ट करने के लिए रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु पुनः प्रयास करने के निर्देश प्रदान किये। जिस पर अग्रिम कार्यवाही के लिए श्री रमेश कुमार कानि. नंबर 119 को सुबह के समय ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर उपस्थित होने बाबत् पाबंद कर अपनी सकूनत के लिए रूखसत किया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से प्राप्त कर उक्त रिपोर्ट पत्रावली मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित तालाबंद रखकर चाबी स्वयं के कब्जे में रखी। दिनांक 07.03.2025 को वक्त 09.15 ए. एम. पर पूर्व का पाबंदशुदा कानि. श्री रमेश कुमार ब्यूरो कार्यालय पर हाजिर आया। जिसको मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा ब्यूरो कार्यालय सिरोही की अलमारी में पूर्व का रखा हुआ डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर निकालकर सुरक्षित हालात में सुपुर्द कर परिवादी से संपर्क कर आरोपी द्वारा मांग की जाने वाली रिश्वती राशि के संबन्ध में तथ्यों को और अधिक स्पष्ट करवाने के लिए गोपनीय रूप से पुनः सत्यापन करवाने सहित आवश्यक हिदायत देकर कानि. श्री रमेश कुमार की निजी मोटरसाईकिल से रेवदर की तरफ रवाना किया गया। दिनांक 07.03.2025 को ही अन्य गोपनीय राजकार्य से श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अनिब्यूरो सिरोही के साथ बाहर जाना आवश्यक होने से पूर्व में रवानाशुदा कानि. को मन् निरीक्षक पुलिस के संपर्क में रहने की हिदायत देकर वक्त 09.15 ए.एम. पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के साथ गोपनीय कार्य से हल्का क्षेत्र में रवाना हुआ। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के साथ दीगर राजकार्य प्रयोजनार्थ हल्का क्षेत्र में गया हुआ मन निरीक्षक पुलिस 09.15 पी.एम. पर ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर हाजिर आया। आज के रोज का रवानाशुदा कानि. श्री रमेश कुमार द्वारा मन् निरीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर बंद हालात में डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मन् नि.पु. को पेश किया,

जिसको मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा प्राप्त कर सुरक्षित रूप से कब्जा स्वयं के लिया। दर्ज रहे कि ईमरोजा का रखानाशुदा कानि. द्वारा आज के रोज दोपहर में अन्य राजकार्य में ब्यूरो कार्यालय सिरोही से बाहर रवानाशुदा मन् निरीक्षक पुलिस को जरिये दूरभाष बताया कि ब्यूरो कार्यालय सिरोही से रवाना होकर करोटी पहुंच परिवादी श्री शैतान लाल गुर्जर से संपर्क किया उसी दरम्यान परिवादी के पास आरोपी श्री रमेशदान का फोन कॉल आया व परिवादी को बताया कि तुम रेवदर पहुंचकर मुझे कॉल करें। जिस पर मुझ कानि. द्वारा परिवादी को मेरी निजी मोटरसाईकिल पर हमराह लेकर कस्बा रेवदर पहुंचा। जहां से परिवादी द्वारा आरोपी एएसआई को कॉल कर बताया कि मैं रेवदर पेट्रॉल पंप पर पहुंच गया हूं, जिस पर आरोपी द्वारा वहीं रूकने का बोला। उसी समय मुझ कानि द्वारा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर डिवाईस चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर उक्त पेट्रोल पंप पर खड़ा रहते हुए आरोपी के आने का इंतजार करने की हिदायत देकर मैं वहीं पर हाईवे किनारे आस-पास बेतरतीब खड़े ट्रकों की ओट में अपनी उपस्थिति छुपाकर खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद आरोपी पुलिस की बत्ती लगी सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी मे उक्त पैट्रॉल पंप पर आकर परिवादी से मिला परिवादी से कुछ समय तक बातचीत करने के उपरांत परिवादी को आरोपी एएसआई ने पुलिस की गाड़ी में उसके साथ बिठाकर करोटी की तरफ निकला तो मैं भी अपनी मोटर साईकिल से उक्त पुलिस की गाड़ी के पीछे-पीछे करोटी पहुंचा तो पुलिस की गाड़ी करोटी तिराहे पर ममता ईमित्र एवं सीएससी सेन्टर के आगे खड़ी दिखी तथा परिवादी उक्त ईमित्र की दुकान में आ-जा रहा था तथा वर्दी में पुलिस वाले भी परिवादी के साथ-साथ ईमित्र की दुकान में आ-जा रहे थे, जिन पर मैं दूर से फौरी तौर पर नजर रख रहा था। कुछ समय बाद पुलिस वालों ने परिवादी से कुछ विनिमय किया तथा परिवादी को वहीं पर छोड़कर पुलिस की गाड़ी कस्बा रेवदर की तरफ निकल गई जिस पर मैने परिवादी के पास जाकर उससे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर मेरे कब्जे में सुरक्षित रखा। उस समय परिवादी ने मुझे बताया कि रमेश जी पुलिस वाले मुझे पैट्रोल पंप पर आकर मिले व मेरे से पैसे मांगे तो मैंने कहा मेरे पास तो अभी पैसे कम ही है सेठजी मेरे खाते में भरवाएंगे तो मैं दे दूंगा। फिर रमेश जी पुलिस वाली गाड़ी में मुझे साथ में बिठाकर करोटी के ईमित्र वाली दुकान पर ले आये और बोला कि सेठ से बात कर पैसे मंगवा अभी जेसीबी वाले को पैसे देने है। फिर मैंने सेठजी को मेरे व्हाट्सएप से ईमित्र वाले का पैमेन्ट स्कैनर भेजकर उस पर सेठजी से पांच हजार रूपये डलवाए जिनमें से मैंने ईमित्र वाले से चार हजार रूपये नगद प्राप्त कर पुलिस वालों को दिया तो उन्होंने मुझे मेरा ड्राईविंग लाईसेंस और गाड़ी की मूल आरसी दे दी। उस समय रमेशजी एएसआई साहब ने बोला कि जेसीबी वाले को पांच हजार रूपये बाद में और दे देना। उसके बाद पुलिस वाले रमेशजी गाडी में वहां से रेवदर की तरफ चले गये। उक्त समस्त घटनाकम की पुष्टि रेवदर कस्बे के तिरूपति पेट्रोल पंप तथा करोटी के ममता ईमित्र व सीएससी सेन्टर पर लगे सीसीटीवी कैमरों के अवलोकन से की जा सकती है। तत्पश्चात् जहां से रवाना होकर मैं परिवादी के साथ करोटी के पास ढाबे पर खड़ी गाड़ी के पास पहुंचा हूं । परिवादी यहीं ढाबे पर नहा-धोकर भोजनादि करने की तैयारी कर रहा है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उपरोक्तानुसार हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से निवेदन किये जाकर निर्देशानुसार परिवादी को साथ लेकर ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर पहुंचने की कानि. श्री रमेश कुमार को हिदायत दी। जिस पर श्री रमेश कुमार कानि. परिवादी को हमराह लेकर उसकी गाड़ी के साथ कस्बा सिरोही पहुंच मन् निरीक्षक पुलिस को जरिये दूरभाष बताया कि परिवादी की गाड़ी फिर से खराब हो जाने से वह मिस्त्री को गाड़ी दिखा रहा है। जिस पर परिवादी को कल सुबह फी होकर ब्यूरो कार्यालय हाजिर होने की हिदायत ब्यूरो कानि श्री रमेश कुमार के मार्फत दिलवाई गई। तत्पश्चात् ब्यूरो कार्यालय पर मन् निरीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आए कानि. श्री रमेश कुमार नं. 119 को परिवादी को साथ में लेकर प्रातः काल ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर उपस्थित होने की हिदायत देकर फारिक किया तथा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के चालू कर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकोर्डेड रिश्वती राशि पुनः मांग सत्यापन वार्तालाप को सुना गया तो कानि. श्री रमेश कुमार द्वारा जरिये दूरभाष मन निरीक्षक पुलिस को बताये कथनों की ताहिद हुई तथा आरोपी श्री रमेश दान सहायक उप निरीक्षक पुलिस द्वारा जेसीबी वाले व पीडब्ल्यूडी एईएन के बहाने पांच हजार रूपये रिश्वती राशि प्राप्त कर परिवादी को उसका ड्राईविंग लाईसेन्स व गाड़ी की आरसी लौटाने की पुष्टि हुई। रिश्वती राशि पुनः मांग सत्यापन वार्तालाप की बाद में रूबरू स्वतंत्र गवाहान परिवादी की मौजूदगी में फर्द ट्रांसक्रिप्ट मुर्तिब की जायेगी। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित तालाबंद रखकर चाबी स्वयं के कब्जे में रखी। श्री रमेश दान सहायक उप निरीक्षक पुलिस के विरूद्ध प्रस्तावित अग्रिम विधिक कार्यवाही के लिए दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने से मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री जगदीश कुमार, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट से जरिये दूरभाष संपर्क कर कल दिनांक 08.03.2025 को प्रातः काल में दो सरकारी कर्मचारियों को ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर भिजवाने हेतु निवेदन किया तथा कार्यालय समय समाप्त हो जाने एवं कल के रोज तहसील कार्यालय में अवकाश होने से लिखित तहरीर भिजवाने में असमर्थता जताई। जिस पर श्रीमान तहसीलदार सिरोही द्वारा श्री आशीष मीणा एवं श्री अशोक कुमार पटवारीगण को कल के रोज सुबह के समय ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर भिजवाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो सिरोही से निवेदन किये जहां से कल के रोज अग्रिम विधिक कार्यवाही कर सुसंगत साक्ष्य संकलन के निर्देश प्राप्त हुए। निर्देशानुसार दिनांक 08.03.2025 को वक्त 08.50 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय पर आशीष मीणा नामक शख्स उपस्थित आया पूछने पर श्रीमान तहसीलदार सिरोही के निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर हाजिर होना

बताया, जिसको मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय देकर तसल्लीपूर्वक ब्यूरो कार्यालय में बैठाया गया। वक्त 09.00 ए.एम. पर पूर्व का पाबंदशुदा कानि. श्री रमेश कुमार नं. 119 मय परिवादी श्री शैतान लाल गुर्जर के ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर हाजिर आया। परिवादी को मन निरीक्षक पुलिस द्वारा तसल्ली देकर ब्यूरो कार्यालय में बैठाया गया तथा हाजिर कानि. श्री रमेश कुमार को प्रस्तावित विधिक कार्यवाही में द्वितीय स्वतंत्र गवाह के रूप में तहसीलदार सिरोही द्वारा मुकर्ररशुदा श्री अशोक पटवारी से संपर्क कर अविलंब ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर तलब करने के निर्देश दिये। वक्त 09.10 ए.एम. पर श्री रमेश कुमार कानि. नं. 119 द्वारा मन् निरीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि मेरे द्वारा श्री अशोक कुमार पटवारी को जरिये व्हाट्सएप्प कॉल संपर्क कर पूर्व में उसको तहसीलदार सिरोही द्वारा पाबंद किये अनुसार ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर हाजिर आने का बोला तो श्री अशोक कुमार पटवारी द्वारा अविलंब ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर उपस्थित होने का आश्वासन दिया। तलबशुदा पटवारी श्री अशोक कुमार के हाजिर आने पर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। हाजिर परिवादी से मांग सत्यापन वार्ताओं में आरोपी द्वारा बार-बार जेसीबी के लिए पैसे मांगना एवं एईएन का जिक करने का कारण पूछने पर परिवादी श्री शैतान लाल गुर्जर ने मन् निरक्षक पुलिस को बताया कि मेरी गाड़ी करोटी में खराब हो गई थी जो तीन दिन तक वही रोड़ पर पड़ी रही थी तो उस समय हाईवे पर जाम लग रहा था तो पुलिस वालों ने हाईवे के बीच के डिवाईडर को जेसीबी से साफ करवाए थे, जिसमें जेसीबी मशीन पांच मिनट तक ही चलाई थी। रोड पर लगे जाम को हटाना एवं खराब वाहनों को साईड में करवाना तो सरकारी प्रशासन का कार्य है। हमारी रात दिन गाड़ियां हाईवे पर चलती रहती है और कई बार खराब भी होती है तो प्रशासन की निशुल्क मदद से ही जाम खुलवाया जाता है। रेवदर थाणे के रमेश दान जी एएसआई साहब जेसीबी एवं पीडब्ल्यूडी एईएन का बहाना बना कर खुद के लिए पैसे मांग कर प्राप्त किये है। कहीं पर जेसीबी तो चलती है तो किराये भाड़े के एक घण्टे के हजार-बारह सौ रूपये लेते है, लेकिन रमेश दान जी पांच मिनट में जो जेसीबी चलाई थी उसके लिए कभी पन्द्रह हजार कभी दस हजार तो कभी पांच हजार रूपये मांग रहे थे। खास बात तो यह है कि मैंने किसी जेसीबी वाले को वहां पर मशीन चलाने के लिए बुलाया ही नहीं था, वहां पर जेसीबी मशीन पुलिस वालों की मौजूदगी में वहां के लोकल लोगों द्वारा लाकर चलाई गई थी। उसके लिए मुझे न तो किसी ने जेसीबी का किराया देने के लिए बोली की थी, और न ही उस समय पुलिस वालों ने भी नहीं बोला कि तेरे लिए हमने जेसीबी मंगवाई है जिसका किराया तुझे देना होगा। रमेशदान जी पुलिस वाले ने जेसीबी वालों और पीडब्ल्यूडी एईएन साहय की झूठी कहानी गढ़ कर खुद के लिए मेरे से रूपये मांगकर प्राप्त किये थे। कल जब ईमित्र की दुकान से निकलवाकर मेरे से पैसे प्राप्त कर मुझे मेरा ड्राईविंग लाईसेंस और गाड़ी की मूल आरसी वापस दी उस समय वो पैसे रमेश दान जी अपने साथ लेके चले गये तथा वहां से जाते-जाते मुझे बोला कि जेसीबी वाला यहीं खड़ा है इससे बात कर लेना और इसके लिए पांच हजार रूपये अलग से इनको दे देना। वक्त 09.40 ए.एम. पर तलयशुदा अशोक कुमार पटवारी ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया जिसके साथ मन निरीक्षक पुलिस द्वारा पूर्व में आये हुए श्री आशीष मीणा पटवारी व परिवादी श्री शैतान लाल गुर्जर को मन् निरीक्षक पुलिस के कक्ष में लेजाकर परिवादी के रूबरू मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनों पटवारीगण को अपना परिचय देकर हाजिर परिवादी का परिचय देते हुए दोनों को उनका परिचय पूछा तो दोनों ने अपना परिचय कमशः आशीष मीणा पुत्र श्री हरीमन लाल मीणा, जाति मीणा, उम्र 34 साल, निवासी मकान नंबर 35, पवन विहार, जगतपुरा, पुलिस थाना रामनगरिया जयपुर हाल पटवारी उड़ तहसील व जिला सिरोही व श्री अशोक कुमार पुत्र श्री गणेशराम मेघवाल, जाति मेघवाल, उम्र 31 वर्ष, निवासी ग्राम गोयली, तहसिल व जिला सिरोही हाल पटवारी पटवार मण्डल रामपुरा, तहसील एवं जिला सिरोही के रूप में दिया। जिस पर उनको तलब करने के मंतव्य से अवगत कराते हुए मन निरीक्षक पुलिस द्वारा कराते हुए ब्यूरो कार्यालय की अलमारी में से परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर बाहर निकालकर परिवादी द्वारा दिनांक 06.03.2025 को मन् निरीक्षक पुलिस को प्रस्तुत टाईपशुदा रिपोर्ट पढ़कर उपस्थित दोनों पटवारीगण को पढ़कर सुनाई गई तथा दोनों पटवारीगण को बारी-बारी से पढ़ने के लिए दी गई। तत्पश्चात् डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में दिनांक 06.03.2025 को परिवादी श्री शैतान लाल गुर्जर एवं आरोपी श्री रमेशदान एएसआई के मध्य रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप एवं दिनांक 07.03. 2025 को परिवादी श्री शैतान एवं आरोपी श्री रमेशदान एएसआई के मध्य रूबरू हुई रिश्वती राशि पुनः मांग सत्यापन सह लेन-देन वार्तालाप के महत्वपूर्ण अंशों को दोनों पटवारीगण को बारी-बारी से सुनाई जाकर आरोपी श्री रमेश दान के विरूद्ध प्रस्तावित अग्रिम विधिक कार्यवाही में स्वतंत्र निष्पक्ष गवाह शरीक होने का आग्रह किया तो दोनों पटवारीगण द्वारा परिवादी श्री शैतान द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर कर बतौर स्वतंत्र गवाह अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में साथ रहने की मौखिक सहमति प्रदान की। जिस पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए रिश्वती राशि लेन-देन वाले घटना स्थल ममता ई मित्र एवं सीएससी सेन्टर करोटी का मौका मुआयना करने व घटना स्थल से सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य सुसंगत साक्ष्यों के संकलन करने का निर्णय लिया जाकर अन्य ब्यूरो स्टाफ की ब्यूरो कार्यालय में तलबी करवाई गई। वक्त 09.50 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा तलब किये गये श्री चेलाराम हैडकानि. नं. 109, श्री विकम सिंह हैडकानि. नं. 36, श्री अवतार सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्री सुरेशदान कानि. नं. 470, श्री रामदयाल कनिष्ठ सहायक, श्रीमती ईशु कंवर महिला कानि. नं. 157 व श्री गणेश कानि. चालक नं. 561 मय सरकारी बोलेरो वाहन के ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर उपस्थित आये। ब्यूरो कार्यालय सिरोही के मालखाना प्रभारी श्री चेलाराम हैडकानि. नं. 109 को

प्रादर्श सील चैपा करने से संबन्धित आवश्यक साजो सामान तैयार कर श्री विक्रम सिंह हैड कानि. नं. 36 श्री अवतार सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी को सरकारी वाहन से घटना स्थल करोटी मन् निरीक्षक पुलिस के हमराह चलने हेतु तैयार होने के निर्देश दिये। वक्त समय 10.45 ए.एम. पर मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी की रिपोर्ट पत्रावली एवं डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर, लैपटॉप, प्रिन्टर, मैमोरी कार्ड्स, पैन ड्राईव, पीतल की सील ईत्यादि आवश्यक सामग्री के साथ हमराह परिवादी श्री शैतान लाल गुर्जर, दोनों स्वतंत्र गवाह श्री आशीष मीणा व श्री अशोक पटवारीगण, श्री विकम सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री चेलाराम हैडकानि. नं. 109 मय ट्रेप बॉक्स व श्री गणेश कानि. चालक नं. 561 के जरिये सरकारी बोलेरो वाहन करोटी की तरफ रवाना हुए शेष ब्यूरो जाब्ता श्री रमेश कुमार कानि. नं. 119. श्री सुरेशदान कानि. नं. 470, श्री रामदयाल कनिष्ठ सहायक व श्रीमति ईशुकंवर मकानि. नं. 157 को ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर चौकस रूप से मुकिम रहने की हिदायत दी गई हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से निवेदन किये। वक्त समय 11.41 ए. एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस हमराही जाब्ते के साथ मय मामूरा गवाहान चेतक चौक करोटी में स्थित ममता ई-मित्र पर पहुँचे। जहां पर श्री रोहित कुमार ई-मित्र संचालक व उसके महायक जसवंत कुमार उपस्थित मिले। जिनसे कल दिनांक 07.03.2025 को किसी पुलिसकर्मी द्वारा अपने साथ एक व्यक्ति को लाकर उसके सेठ से यूपीआई स्कैनर के जरिये पांच हजार रूपये की राशि प्राप्त कर बैंकिंग सेवा केन्द्र से नगद प्राप्त करने के बारे में एवं ई-मित्र की दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग चालू होकर स्टॉरेज के सम्बंध में पुछने पर सीसीटीवी दुरूस्त हालात में कार्य करना व हार्ड डिस्क व मैमोरी कार्ड में स्टोरेज होना एवं कल दिनांक 07.03.2025 को पुलिसकर्मी द्वारा अपने साथ एक व्यक्ति को ई-मित्र पर लेकर आना व किसी अन्य व्यक्ति से 5,000 रूपये ऑनलाईन डलवाकर ई-मित्र पर साथ आये व्यक्ति द्वारा नगद प्राप्त करना बताया। जिस पर दिनांक 07.03.2025 का सीसीटीवी फुटेज स्टोरेज खंगालकर चैक किया गया तो श्री रमेश दान एएसआई व उसके साथ में आए एक अन्य पुलिस कानि. द्वारा परिवादी के पीछे-पीछे ममता ईमित्र की दुकान में प्रविष्ट होकर परिवादी पर उक्त दुकान के खाते में पैसे मंगवाने के लिए दबाव बनाते नजर आए तथा परिवादी द्वारा ईमित्र की दुकान से पैसे प्राप्त कर दुकान के बाहर खड़ी पुलिस थाने की बोलेरो गाड़ी की आगे की सीट पर बावर्दी बैठे हुए श्री रमेश दान एएसआई द्वारा प्राप्त कर परिवादी को उसका ड्राईविंग लाईसेंस व गाड़ी की आरसी लौटाना पाया गया। तत्पश्चात् ममता ई-मित्र एवं सीएससी सेन्टर, चेतक चौक करोटी के बाहर एवं अन्दर लगे कैमरे की दिनांक 07.032025 की दोपहर की घटना के विडियों फूटेज बतौर महत्वपूर्ण साक्ष्य होने के कारण उक्त फुटेज की प्रकरण में आवश्यकता होने से ममता ई मित्र की दुकान में लगे मीसीटीवी कैमरों के स्टोरेज की मूल मैमोरी कार्ड एवं मूल हार्डडिस्क को कब्जा ब्यूरो लिया जाने का निर्णय लिया गया। ईमित्र संचालक श्री रोहित कुमार से उक्त मूल मैमारी कार्ड व मूल हार्ड डिस्क प्राप्ति बाबत् मौखिक सहमति प्राप्त करते हुए। उक्त साक्ष्यों को कब्जा ब्यूरो लिये जाने के लिए फर्द जब्ती की कार्यवाही कर ममता ईमित्र की दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरों के स्टोरेज से दिनांक 07.03.2025 की प्रकरण से संबन्धित घटना के विडियो फुटेज दो क्लॉन पैन ड्राईव तैयार कर मूल मैमोरी कार्ड एवं मूल हार्ड डिस्क को हस्ब कायदा जब्त कर नियमानुसार फर्द मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की तथा हाजिर परिवादी की निशां देही पर रूबरू स्वतंत्र गवाहान घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना स्थल का नजरी नक्शा मौका तैयार कर उस पर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक मय साथ में लाये ट्रेप बॉक्स एवं अन्य समस्त मामग्री एवं कब्जा ब्यूरो लिये गये प्रादर्शों सहित हमराह श्री विकमसिंह हैड कानि., श्री चेलाराम हैड कानि. श्री अवतारसिंह सहा.प्रशा.अधि. दोनों स्वतन्त्र गवाह एवं परिवादी श्री शैतान के जरिये सरकारी वाहन मय चालक श्री गणेशलाल के कस्बा करोटी से रवाना होकर भ्रनिब्यूरो सिरोही पहुंचे तथा प्रकरण से सम्बंधित जब्त पैन ड्राईव एवं हार्डडिस्क का शिल्डशुदा पैकेट मार्क A मालखाना प्रभारी श्री चेलाराम हैड कानि. को जमा मालखाना करने हेतु सुपुर्द कर जमा मालखाना किया गया। उपरोक्त हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से निवेदन किये तथा अग्रिम कार्यवाही करते हुए परिवादी एवं आरोपी के मध्य दिनांक 06.03.2025 को रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता जो ब्यूरो के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकोर्डेड है जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री रमेश कुमार कानि. नं. 119 की सहायता से परिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहों के रूबरू मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् दिनांक 07.03.2025 को आरोपी श्री रमेश दान एएसआई एवं परिवादी श्री शैतान लाल गुर्जर के मध्य रूबरू हुई रिश्वती राशि पुनः मांग सत्यापन सह लेन-देन वार्तालाप की फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री रमेश कुमार कानि. नं. 119 द्वारा परिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहों की मौजुदगी में मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में आरोपी एवं परिवादी के मध्य दिनांक 06.03.2025 को रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 07.03.2025 को आरोपी एवं परिवादी के मध्य हुई रिश्वती राशि पुनः मांग सत्यापन सह लेन-देन वार्ताएं जो डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्डेड है, उक्त मूल मैमोरी कार्ड को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में से निकालकर एक सफेद कपड़े की थैली में सीलबंद कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर उक्त थैली पर मार्क-M अंकित किया जाकर उस पर संबन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। जिसकी पृथक से फर्द मुर्तिब कर उस पर संबन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी श्री शैतान लाल गुर्जर से उसके

ड्राईविंग लाईसेंस व गाड़ी की आरसी की परिवादी के हस्ताक्षरशुदा फोटोप्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये गये। जब्तशुदा मूल मैमोरी कार्ड के सीलशुदा पैकेट एवं खुली हालात में रखी गई दोनों क्लॉन पैन ड्राईव्ज को श्री चेलाराम हैडकानि, नं. 109 को सुपुर्द्ध कर कार्यालय हाजा के मालखाना में जमा करवाये गये। तत्पश्चात् प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से परिवादी श्री शैतान लाल गुर्जर को व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री अशोक कुमार व श्री आशीष मीणा पटवारीगण को अपनी सकूनत के लिए रूखसत किये गये। आरोपी श्री रमेश दान सहायक उप निरीक्षक पुलिस द्वारा चतुराई से रिश्वत के रूप में परिवादी से चार हजार रूपये की रिश्वत परिवादी को अपने साथ पुलिस की गाड़ी में बैठाकर ईमित्र से प्राप्त कर परिवादी को उसका लाईसेंस एवं गाड़ी की आर.सी. लौटाकर फारिक कर दिया। जिस वजह से आरोपी एएसआई को मौके पर रंगे हाथों गिरफ्तार नहीं किया जा सका। दिनांक 06.03. 2025 को आरोपी एवं परिवादी के मध्य रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप एवं दिनांक 07.03.2025 को आरोपी एवं परिवादी के मध्य रूबरू हुई रिश्वती राशि पुनः मांग सत्यापन सह लेन-देन वार्तालाप एवं ममता ईमित्र एवं सीएससी सेन्टर से जब्तशुदा सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से उपरोक्त समस्त तथ्यों की पुष्टि हुई। उपरोक्त तथ्यों से पाया गया कि दिनांक 06.03.2025 को श्री शैतान लाल गुर्जर द्वारा ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर श्री रमेश दान सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना रेवदर, जिला सिरोही के खिलाफ प्रस्तुत शिकायत का ट्रेपकर्ता अधिकारी श्री कुयाराम द्वारा गोपनीय रूप से सत्यापन करवाया गया। दिनांक 02.03.2025 को परिवादी गाड़ी नंबर RJ48GA2008 के ट्रेलर में गांधीधाम गुजरात से कोयला भरकर बहराईच, उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहा था। दिनांक 03.03.2025 को सुबह दस बजे रेवदर से सिरोही की तरफ हाईवे पर करोटी गांव के मोड़ में परिवादी का ट्रेलर खराब हो गया था जिसको केन या अन्य किसी तरीके से वहां से आसानी से हटाया जाना संभव नहीं होने से उक्त ट्रेलर सड़क पर ही खड़ा रहने की वजह से हाईवे पर यातायात प्रभावित होकर बार-बार जाम लग रहा था। जिस पर पुलिस थाना रेवदर के जाब्ते की मौजूदगी में करोटी के मौजीज लोगों द्वारा हाईवे पर यातायात सुचारू करने के लिए रोड़ के बीच के पांच-सात फुट का डिवाईडर जेसीबी मशीन से हटवाया गया, ताकि पास से गाड़िया निकल सकें एवं यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। दिनांक 05.03.2025 की शाम को परिवादी उक्त ट्रेलर गाड़ी को ठीक करवाकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रहा था उस वक्त पुलिस थाना रेवदर के श्री रमेश दान एएसआई पुलिस की गाड़ी में अपने साथ लेकर आया तथा परिवादी को धमकाते हुए परिवादी श्री शैतान लाल गुर्जर का ड्राईविंग लाईसेंस व गाड़ी की मूल आर.सी. लेते हुए गालियां देकर धमकाते हुए खर्चे पानी के रूप में परिवादी से पन्द्रह-बीस हजार रूपयों की मांग की गई तथा उक्त खर्चे पानी के रूप में रूपये नहीं देने पर परिवादी ट्रेलर चालक को जेल में डालने की धमकी दी गई। दिनांक 06.03.2025 को परिवादी की शिकायत का गोपनीय सत्यापन किया गया तो आरोपी एएसआई द्वारा परिवादी को 3 पीडीपी एक्ट का मुकदमा दर्ज कर जेल में डालने की धमकी दी गई और उसका मामला रफा-दफा करने एवं जब्तशुदा कागजात लौटाने के लिए परिवादी श्री शैतान लाल गुर्जर से जेसीबी मशीन चलाने एवं पीडब्ल्यूडी एईएन के बहाने से 5000 रूपये रिश्वती राशि की मांग की गई तथा दिनांक 07.03.2025 को रिश्वती राशि पुनः मांग सत्यापन के वक्त श्री रमेश दान, सहायक उप निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को धमकाते हुए अश्लील गालियां देते हुए जेसीबी मालिक एवं पीडब्ल्यूडी के एईएन को देने के बहाने परिवादी पर दबाव बनाया गया तथा परिवादी से उसके सेठ (ट्रेलर मालिक) को कॉल करवाकर परिवादी को पुलिस की गाड़ी में अपने साथ में बैठाकर ममता ईमित्र की दुकान पर ले जाया गया तथा बावर्दी अपने साथ में लाए एक अन्य पुलिस कानि. की मदद से उक्त ईमित्र की दुकान के पैमेन्ट स्कैनर परिवादी के व्हाट्सएप उसके सेठ को भिजवाकर उक्त पैमेन्ट स्कैनर पर 5000 रूपये मंगवाए गए। श्री रमेश दान एएसआई के साथ में आए बावर्दी पुलिस कानि. के बारे में विडियो फुटेज के आधार पर पहचान ज्ञात की तो उक्त कानि. की पहचान श्री हरीश कुमार कानि. नं. 87 पुलिस थाना रेवदर के रूप में हुई। जिसने परिवादी के साथ ई-मित्र में प्रवेश कर अपने सेठ से रिश्वती की राशि ममता ई-मित्र के स्कैनर पर मंगवाने हेतु प्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाया तथा परिवादी के सेठ द्वारा पैसे भेजने में विलंब होने पर आरोपी श्री हरीश कुमार द्वारा तत्समय ज्यादा लेट होने पर रिश्वती राशि ई-मित्र के स्कैनर में डालने की बजाय स्वयं के खाते में डालने का कथन किया था। ममता ई-मित्र के स्कैनर पर मंगवाये गये पांच हजार रूपये में से चार हजार रूपये परिवादी द्वारा ममता ई-मित्र से नगद प्राप्त कर श्री रमेश दान, सहायक उप निरीक्षक पुलिस को दिए। परिवादी से रमेश दान द्वारा उक्त 4000 रूपये प्राप्त करने के उपरांत परिवादी को उसका ड्राईविंग लाईसेंस व ट्रेलर की आर.सी. देकर वहां से जाते हुए जेसीबी मालिक को 5000 रूपये पृथक् से और देने को कहा गया। जिसकी ताहिद ब्यूरो की डिवाईस में रिकोर्डेड रिश्वती राशि पुनः मांग सत्यापन सह लेन-देन वार्तालाप एवं ममता ईमित्र के सीसीटीवी फुटेज से होती है। इस प्रकार से श्री रमेश दान, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना रेवदर, जिला सिरोही द्वारा अपने साथी कानि. श्री हरीश कुमार की मदद से परिवादी श्री शैतान लाल गुर्जर से जब्तशुदा ड्राईविंग लाईसेंस एवं ट्रेलर की मूल आरसी. लौटाने की एवज में जेसीबी चालक एवं पीडब्ल्यूडी के एईएन को देने के नाम पर उनके बहाने से परिवादी को अश्लील गालियां देकर 3 पीडीपी एक्ट का मुकदमा बनाकर जेल में डालने का भय दिखाकर पांच हजार रूपये की मांग की गई तथा कर परिवादी को एक्सटॉर्शन कर चार हजार रूपये स्वयं के लिए प्राप्त करने का आपराधिक कृत्य हमराही कानि. श्री हरीश कुमार की सहायता से कारित किया गया। तथा कर परिवादी को एक्सटॉर्शन कर चार हजार रूपये स्वयं के लिए प्राप्त करने का आपराधिक कृत्य हमराही कानि. श्री हरीश कुमार की सहायता से कारित किया गया। अतः श्री रमेश दान पुत्र श्री

बालुसिंह, जाति चारण, उम्र 48 वर्ष, निवासी ग्राम झांकर, पुलिस थाना पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना रेवदर, जिला सिरोही व श्री हरिश कुमार पुत्र श्री मोटाराम, जाति जाट, उम्र 36 वर्ष, निवासी जाणियों की ढाणी, पॉस्ट बोर चारणान्, तहसिल एवं पुलिस थाना धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर हाल कानि नं. 87, पुलिस थाना रेवदर, जिला सिरोही द्वारा जुर्म धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 308 भारतीय न्याय संहिता-2023 का प्रथम दृष्ट्या अपराध कारित करना पाये जाने से बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते अपराध पंजीबद्ध श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीय (रामेश्वर लाल) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सिरोही............कार्यवाही पुलिस.....................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रामेश्वर लाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 308 भारतीय न्याय संहिता-2023 में आरोपीगण 1- श्री रमेश दान पुत्र श्री बालुसिंह, जाति चारण, उम्र 48 वर्ष, निवासी ग्राम झांकर, पुलिस थाना पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना रेवदर, जिला सिरोही व 2-श्री हरिश कुमार पुत्र श्री मोटाराम, जाति जाट, उम्र 36 वर्ष, निवासी जाणियों की ढाणी, पॉस्ट बोर चारणान्, तहसिल एवं पुलिस थाना धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर हाल कानि नं. 87, पुलिस थाना रेवदर, जिला सिरोही के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री खींव सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-द्वितीय, पाली को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रिपोर्ट 391 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 709-12 दिनांक 21.05.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,पाली, 2.-पुलिस अधीक्षक, जिला सिरोही 3-उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर,4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** khinw SINGH **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 21/05/2025 17:

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	23/02/1977				
2	Male	02/07/1989				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)